नोटिस पृ. पे पंजीबद्ध / तत्काल

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-RHRC/मृतक बंदी/5/2014/40926-41001 दिनांक :-21.11.2014

परिपत्र

यह ध्यान में लाया गया है कि जेलों में निरूद्ध बंदी की मृत्यु के संबंध में सूचना निर्धारित समय में प्रेषित नहीं की जा रही है। जेलों में निरूद्ध बंदी की मृत्यु के प्रकरणों के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही एवं सूचना नियत समय में प्रेषित करने के उद्देश्य से निम्न व्यवस्थाएं आदेशित की जाती हैः-

1-किसी भी बंदी की मृत्यु होने पर संबंधित जेल प्रभारी/उपस्थित अधिकारी इस संबंध में केन्द्रीय/जिला कारागृह के अधीक्षक/ उपाधीक्षक को तत्काल सूचित करेंगे।

2-संबंधित जेल प्रभारी द्वारा घटना के संबंध में धारा 176 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया जायेगा।

3-संबंधित केन्द्रीय/जिला कारागृह के अधीक्षक/उपाधीक्षक द्वारा घटनास्थल का दौरा कर वस्तुस्थिति की जानकारी की जाएगी।

4-संबंधित केन्द्रीय/जिला कारागृह के अधीक्षक/उपाधीक्षक द्वारा ही घटना के संबंध में निम्न कार्यालयों को त्वरित माध्यम से सूचना इत्यादि प्रेषित की जायेगीः-

1-सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
2-उप पंजीयक, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर
3-विशिष्ठ सहायक, माननीय कारागार मंत्री, राजस्थान, जयपुर
4-महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर (जरिये कन्ट्रोल रूम)
5-संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज
6-संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक
7-संयुक्त शासन सचिव, गृह(ग्रुप-12)विभाग, राजस्थान, जयपुर
8-संबंधित न्यायालय को मय मूल वारन्ट
9-जिला बंदी कल्याण अधिकारी(प्रोबेशन ऑफिसर)
10-संबंधित उप खण्ड मजिस्ट्रेट/पुलिस थाना
11-बंदी के परिजन

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1-महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
2-उप महानिरीक्षक कारागार, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
3-समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह एवं महिला बंदी सुधार गृह, राजस्थान
4-समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान
5-कारापाल, बाल बंदी सुधारगृह, जैतारण(पाली)

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर